राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०) के छात्र कल्याण निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2025

भाग-1

1 प्रारम्भिक

क) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या STV(IT)F(5)-5/85 दिनांक : 16.10.1986 के नियम 7 द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्र कल्याण निधि लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा को सौपें जाने के दृष्टिगत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०) छात्र कल्याण निधि लेखो का अंकेक्षण कार्य निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा विभाग शिमला द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०) में निम्नलिखित प्रधानाचार्य आहरण व वितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे :-

क्र० संख्या	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यकाल अवधि
1	श्री पान चंद वर्मा	प्रधानाचार्य	01.04.2022 से 31.03.2025

(ख) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०) से सम्बन्धित गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या -02 दिनांक 24-01-2025 द्वारा अवगत करवाया गया जिसके संदर्भ में प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिउतर दिया गया कि अधिकतर अनिर्णीत पैरो पर कार्यवाही कर ली गई है तथा अंकेक्षण के दौरान उक्त कार्यवाही का सत्यापन किया गया तथा वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/22 से03/25 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	निर्णीत	-
2.	4	पुनःप्रारूपित	-

3.	5	निर्णीत	-
4.	06	निर्णीत	-
5.	07	निर्णीत	-
6.	08	निर्णीत	-
7.	09	निर्णीत	-
8.	10	निर्णीत	-
9.	11	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुनः प्रारूपित)
10.	12	निर्णीत	-
11.	13	निर्णीत	-

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

संस्थान के छात्र कल्याण निधि लेखाओं अवधि 01-04-2022 से 31-03-2025 तक का अंकेक्षण श्री राकेश कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा 21-03-2025 से 15-04-2025 के दौरान संस्थान में किया गया। आय-व्यय की विस्तृत जाँच हेतु निम्न मासों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2022-23	02/2023	10/2022
2023-24	08/2023	04/2023
2024-25	08/2024	03/2025

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सलूणी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त संस्थान द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख

के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क -:

संस्था के छात्र निधि लेखाओं के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2025 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को अंकेक्षण अधियाचना संख्या:- 02 दिनांक 12-04-2025 को बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करने के लिए अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति :-

(**क**) संस्थान के छात्र कल्याण निधि लेखों अवधि 01.04.2022 से 31.03.2025 तक की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट-1** के अनुसार निम्न प्रकार से है :-

वितीय वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**आय**	**ब्याज**	**कुल**	**व्यय**	**अन्तशेष**
2022-2023	₹ 4,41,243.00	₹ 3,82,339.00	₹ 4,697.00	₹ 8,28,279.00	₹ 3,47,579.00	₹ 4,80,700.00
2023-2024	₹ 4,80,700.00	₹ 4,93,208.00	₹ 13,380.00	₹ 9,87,288.00	₹ 4,90,724.00	₹ 4,96,564.00
2024-2025	₹ 4,96,564.00	₹ 3,40,427.00	₹ 22,615.00	₹ 8,59,606.00	₹ 3,68,165.00	₹ 4,91,441.00

ख) दिनांक 31-03-2025 को अन्तशेष (बैंक अनुसार) का विवरण:-

क्रम संख्या	**निधि का नाम**	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**बैंक शेष**	**सावधि में शेष**	**रोकड़ बही शेष**	**अंतर**
1.	SWF	SBI सलूणी	18910115335	₹2,76,859	₹ 2,14,582	₹ 4,91,441	0

5 निवेश :-

संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि लेखों से सावधि जमा में दिनांक 31-03-2025 तक निवेशित ₹214582/- का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट -2** पर संलग्न है:-

ITI SWF Account NO. 18930307897 The HP State Co-op. Bank Salooni Distt. Chamba

S. No	**Bank**	**FDR No.**	**Account No.**	**Opening/ Renewal Date**	**Deposit Amount**	**Interest rate**	**Maturity Date**	**Maturity Amount**
1	HPSCB Salooni	2597202	18930307897	26-09-2023	₹ 1,00,000.00	7.10%	26-09-2024	₹ 1,07,291.00
2	HPSCB Salooni	2597203	18930307897	26-09-2023	₹ 1,00,000.00	7.10%	26-09-2024	₹ 1,07,291.00
	Total				₹ 2,14,582.00			₹ 2,30,228.00

6 रसीद बुकों का नियमानुसार अभिलेख न रखने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा जितनी रसीद बुकें छपवाई गई थी व् प्रयोग में लाई जा रही थी उनका स्टॉक रजिस्टर लगाया गया था किन्तु अपूर्ण था जिस कारण यह पता लगाना अत्यंत कठिन था कि कितनी रसीद बुकें प्रयोग में लाई गई थी तथा कितनी अन्तशेष के रूप में संस्थान के पास थी अतः उक्त अनियमितता के कारण रसीद बुकों के गुम होने व् दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नही किया जा सकता अतः संस्थान को परामर्श दिया जाता है कि रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर नियमानुसार बनाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 राशि ₹0.03 लाख का विलम्ब शुल्क जुर्माना न वसूलने बारे :-

तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के विवरण पत्रिका के पैरा 14 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत सभी शुल्क एवं निधियां जमा करने की अंतिम तारीख माह (फरवरी /अगस्त) की 10 तारीख होगी इसके उपरान्त की 25 तारीख तक ₹15 प्रति दिन विलम्ब शुल्क लगेगा तथा 25 तारीख के बाद प्रशिक्षणार्थियों का नाम संस्थान के हाजरी रजिस्टर से काट देने के प्रावधान हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त नियमों के अनुसार शुल्क व निधियां देय तिथियों के बाद वसूली गई है परन्तु उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार जुर्माना राशि की वसूली नहीं की गई थी जुर्माना न वसूलने के फलस्वरूप निम्न वर्णित तालिका अनुसार राशि ₹2880/- की कम वसूली पाई गई।

Session - 2023-25 Trade-Electrician, Surveyor , Fashion Designer					
Date Of Collection	Receipt No	No. of Students	Fee Collection Register Page No	Late Fee Fine / No Of Students *No. Of Days Late Deposit	Late Fees Fine
12-02-2024	732-761	30	42	15*30*2	900
15-02-2024	762-775	14	42	15*14*5	1050
16-02-2024	776-777	2	42	15*2*6	180
12-08-2024	825-849	25	46	15*25*2	750
				Total	2880

जिस बारे प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सलूणी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 01 दिनांक 12.04.2025 को उक्त बारे अवगत करवाया गया था। जिसका कोई प्रतिउतर अंकेक्षण को प्रस्तुत नही किया गया । जुर्माना न वसूले जाने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि /कोष में जमा करवाकर अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

8. प्रवेश शुल्क तथा शिक्षा शुल्क राशि ₹0.32 लाख को विलम्ब से जमा करवाने बारे

हिमाचल प्रदेश तकनिकी शिक्षा बोर्ड के विवरणिका व हि० प्र० वित्त नियमावली 2009 के नियम 3 में दिए प्रावधानों के अनुसार संस्थान द्वारा एकत्रित किये गए फीस तथा शुल्कों को एकत्रित करने के अगले कार्य दिवस को जमा करवाया जाना सुनिश्चित है किन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा उक्त फीस विलम्ब से जमा करवाई जा रही थी।

Date of collection	Receipt no.	Fund Collection reg no	Collection of Admin fees and tution fees As per Collection Ragister
22.08.2022 to 14.09.2022	360-400 401-420	24-27	32600
Deposit In Treasury On Dated 13.10.2022			32600

जिस बारे प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सलूणी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 01 दिनांक :- 12.04.2025 को उक्त बारे अवगत करवाया गया था। जिसका कोई प्रतिउतर अंकेक्षण को प्रस्तुत नही किया गया। जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा देरी से जमा करवाई गई राशि से सरकारी कोष को हुई हानि की प्रतिपूर्ति करके लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

9. राशि ₹0.12 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे

हि०प्र० वित्त नियम 2009 के उपनियम 99 के अंतर्गत स्टॉक /सामान को क्रय लिए जाने से सम्बन्धित नियम प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सलूणी द्वारा निम्नलिखित भुगतान संस्थान के भवन के मुरम्मत हेतु सीमेंट की खरीद हेतु किये गये थे। किन्तु

उक्त क्रय सामग्री को हि० प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से न करके खुले बाजार से क्रय किया गया था जोकि अनियमित प्रतीत होता है ।

SR. No	Voucher No./Date	Name of Fund	Particular/ Detail Of Party	Discription Of Item	Amount
	16/06.10.22	Building fund	Thakur Enterprises Kihar Road Salooni	Cement Purchase	12000

जिस बारे प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सलूणी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 01 दिनांक :-12.04.2025 को उक्त बारे अवगत करवाया गया था। जिसका कोई प्रतिउतर अंकेक्षण को प्रस्तुत नही किया गया। अतः खुले बाजार से खरीदी गई सामग्री को न्यायोचित ठहराया जाए तथा भविष्य में सीमेंट को हि० प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. सभी निधियों का एक ही रोकड़ बही में लेखांकन करने बारे।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सलूणी द्वारा समस्त निधियों (छात्र कल्याण व राजकोषीय निधि) का लेखांकन एकल रोकड़ बही में किया जा रहा है। जिससे कि निधिवार आय –व्यय विवरण की स्थिति का सत्यापन नहीं किया जा सका। तकनीकी शिक्षा विभाग हि०प्र० की अधिसूचना संख्या EDN(TE)A(3)-2/2004 दिनांक 11-02-2017 के क्रम संख्या-4(a) के अनुसार प्रत्येक निधि के लिये अलग-अलग रोकड़ बही का बनाया जाना आवश्यक है। लेकिन संस्था द्वारा उक्त आदेश की अनुपालना नहीं की जा रही है पूर्ण अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 4/19 से 03/22 के पैरा संख्या 11 में भी अंकेक्षण द्वारा आपत्ति दर्ज की थी परन्तु इस सन्दर्भ में कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी। जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। अत: सुझाव दिया जाता है कि, सभी निधियों के लिये नियमानुसार अलग-अलग रोकड़ बही बनाई जानी सुनिश्चित की जाये तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

11 भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार रख-रखाव न करने बारे

संस्थान के निधियों के भण्डार रजिस्टरों की जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न निधियों से खरीदी गई स्थायी व अस्थायी प्रकृति की सामग्री का अलग-2 भण्डार रजिस्टर नहीं लगाया गया था तथा सामग्री का इन्द्राज अव्यवस्थित तरीके से किया गया था जबकि हि प्र वित् नियम

2009 के उप नियम 138 के अनुसार स्थाई व् अस्थाई प्रकृति की सामग्री का भंडारण अलग अलग भण्डार रजिस्टर पर किया जाना प्रावधित है। जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर का संधारण करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. **लघु आपति विवरण:**-इसे अलग से जारी नहीं किया गया, अपितु छोटी- छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

13 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

21 JUN 2025 का०/प्रति०

3966–3968

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(11)(7)162/2023 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

पंजीकृत 3 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का०/प्रति०

परिशिष्ट - 1 पैरा संख्या 4(क) के संदर्भ में

GOVT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE SALOONI, DISTT CHAMBA

Financial Position of SWF (Student Welfare Fund) for the perod 04/2022 to 03/2025

Financial Year	Opening Balance	Income	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-2023	₹ 4,41,243.00	₹ 3,82,339.00	₹ 4,697.00	₹ 8,28,279.00	₹ 3,47,579.00	₹ 4,80,700.00
2023-2024	₹ 4,80,700.00	₹ 4,93,208.00	₹ 13,380.00	₹ 9,87,288.00	₹ 4,90,724.00	₹ 4,96,564.00
2024-2025	₹ 4,96,564.00	₹ 3,40,427.00	₹ 22,615.00	₹ 8,59,606.00	₹ 3,68,165.00	₹ 4,91,441.00

Balance as per cash book	₹ 4,91,441.00
Balance as per Bank A/c	₹ 2,76,859.00
Balance as per FDR	₹ 2,14,582.00
Diffrence	₹ 0.00

Principal
Govt ITI Saloni
Distt Chamba HP

Principal
Govt. I.T.I. Salooni
Distt. Chamba HP - 176320

परिशिष्ट-ख पैरा संख्या 5 के संदर्भ में

Investment/FDR detail as on 31-03-2025

ITI SWF Account NO. 18910115335 The HP State Co-op. Bank Salooni Distt. Chamba

S.N	Bank	FDR No.	Account No.	Opening/ Renewal Date	Deposit Amount	Interest rate	Maturity Date	Maturity Amount
1	HPSCB Salooni	2597202	18930307897	26-09-2024	₹ 1,07,291.00	7.10%	**26-09-2025**	₹ 1,15,114.00
2	HPSCB Salooni	2597203	18930307897	26-09-2024	₹ 1,07,291.00	7.10%	**26-09-2025**	₹ 1,15,114.00
	Total				**₹ 2,14,582.00**			**₹ 2,30,228.00**

Principal
Govt. ITI Salooni
Distt. Chamba HP

Principal
Govt. I T I Salooni
Distt. Chamba - 176320

9